



पेमेन्ट एप के माध्यम से फ्रॉड कर निकाली गई 10 हजार रुपये की संपूर्ण धनराशि कराई गई रिफण्ड

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा पेमेन्ट एप के माध्यम से फ्रॉड कर निकाली गई 10,000/- ₹0 की संपूर्ण धनराशि पीड़ित के खाते में रिफण्ड कराई गई।

संक्षिप्त विवरण- थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव में बृजेश कुमार कुशवाहा निवासी कब्बाखेडा थाना कोतवाली सदर उन्नाव द्वारा आनलाइन साइबर पोर्टल पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 16.07.2025 को फोन पे के माध्यम से प्रार्थी के साथ 10,000 /- ₹0 का फ्रॉड कर लिया गया था। प्राप्त सूचना पर थाना कोतवाली साइबर टीम उन्नाव द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 01.08.2025 को फ्रॉड की गयी 10,000/- रुपये की धनराशि पीड़ित के खाते में रिफण्ड करायी गयी।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार सिंह थाना कोतवाली सदर ,जनपद-उन्नाव।
2. अपराध निरीक्षक राजेश कुमार यादव थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव।
3. महिला आरक्षी सोनिया शर्मा, थाना कोतवाली सदर ,जनपद-उन्नाव।





प्रेस नोट, दिनांक 01.08.2025
थाना सोहरामऊ, जनपद उन्नाव ।

वारंटी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक- 01.08.2025 को थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त पृथ्वी पाल पुत्र तेजा पासी निवासी ग्राम कुशहरी थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव सम्बन्धित केस नं०- 1578/23 अ०सं०- 94/18 धारा- 504/506 भादवि थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं०-01 जनपद उन्नाव तारीख पेशी 11.08.2025 को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया तथा मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

पृथ्वी पाल पुत्र तेजा पासी निवासी ग्राम कुशहरी थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 55 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री कृष्ण मोहन मिश्रा
2. उ०नि० सतीश कुमार





प्रेस नोट, दिनांक 01.08.2025
थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव ।

लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 20.07.2025 को थाना गंगाघाट पर मु०अ०सं० 422/2025 धारा 140(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 140(3) बीएनएस का विलोपन कर धारा 137(2)/87 बीएनएस की वृद्धि की गई। आज दिनांक 01.08.2025 को थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त मो० शोएब पुत्र अलीम निवासी गंगानगर थाना गंगाघाट उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष को बालूघाट तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1.मो० शोएब पुत्र अलीम निवासी गंगानगर थाना गंगाघाट उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० गजेन्द्र सिंह
- 2.का० विश्वजीत भारती
- 3.का० मोहित कुमार
- 4.म०का० दीपिका गुप्ता





अनियमित जमा योजना के माध्यम से ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा अनियमित जमा योजना के माध्यम से ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 29.07.2024 को श्रीमती रीता गुप्ता पत्नी बसन्त लाल गुप्ता नि० बड़ी बाजार कस्बा गंज मुरादाबाद थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव की तहरीर पर थाना बांगरमऊ पर मु०अ०सं० 273/24 धारा 316(2)/318(4) बीएनएस बनाम 03 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में 3/5/21/23 बड्स एक्ट की वृद्धि की गई। आज दिनांक 01.08.2025 को थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अयाज उर्फ अयाजउद्दीन पुत्र शाहबुद्दीन उम्र करीब 44 वर्ष निवासी मोहल्ला तालाब गंजमुरादाबाद थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अयाज उर्फ अयाजउद्दीन पुत्र शाहबुद्दीन उम्र करीब 44 वर्ष निवासी मोहल्ला तालाब गंजमुरादाबाद थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव

आपराधिक इतिहास-

- I. मु०अ०सं० 751/06 धारा 147/323/452/504/506 भादवि
- II. मु०अ०सं० 157/20 धारा 323/324/325/504/506 भादवि
- III. मु०अ०सं० 154/24 धारा 3/25/35 आयुध अधिनियम
- IV. मु०अ०सं० 158/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम
- V. मु०अ०सं० 169/20 धारा 406/504/506 भादवि
- VI. मु०अ०सं० 272/24 धारा 316(2)/318(4)/352 BNS
- VII. मु०अ०सं० 273/24 धारा 316(2)/318(4) BNS
- VIII. मु०अ०सं० 274/24 धारा 316(2)/318(4)/352 BNS
- IX. मु०अ०सं० 301/24 धारा 191(2)/115(2)/110/352/351(2)/111 BNS

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० सतीशचन्द्र द्विवेदी
- 2.हे०का० धीरेन्द्र सिंह ,
- 3.का० जितेन्द्र सिंह





हत्या के प्रयास एवं दुष्कर्म के आरोप मे एक-एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास एवं दुष्कर्म के आरोप मे एक-एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

प्रकरण 01- दिनांक 29.07.2025 को थाना बांगरमऊ पर मु0अ0सं0 467/2025 धारा 333/74/76/191(2)/115(2)/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 01.08.2025 को थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त गोविन्द पुत्र गिरजाशंकर निवासी ग्राम पंचूपुरवा मजरा मदारनगर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 27 वर्ष को कल्याणी नदी के पास बहद ग्राम पंचूपुरवा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. गोविन्द पुत्र गिरजाशंकर निवासी ग्राम पंचूपुरवा मजरा मदारनगर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 27 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 467/2025 धारा 333/74/76/191(2)/115(2)/109 बीएनएस

मु0अ0सं0- 434/2025 धारा 4/25 खनन अधि0 व 2/3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम,

प्रकरण 02- दिनांक 06.06.2025 को थाना बांगरमऊ पर मु0अ0सं0 323/2025 धारा 85/115(2)/74 बीएनएस व 3/4 डी.पी. एक्ट पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 85/74 बीएनएस व 3/4 डी.पी. एक्ट का विलोपन किया गया एवं धारा 137(2)/87/64/352/351(3) बीएनएस व 5J(II)/6 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गई। आज दिनांक 01.08.2025 को थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त सुनील उर्फ सुधीर पुत्र कैलाश निवासी ग्राम हसनपुर सगौडा थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 28 वर्ष को साईपुर सगौडा से मदारनगर रोड बहद ग्राम मदारनगर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. सुनील उर्फ सुधीर पुत्र कैलाश निवासी ग्राम हसनपुर सगौडा थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 28 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. अति0 निरी0 श्री रामनारायण यादव
2. हे0का0 गोविन्द सिंह,
3. का0 राजेश कुमार





प्रेस नोट, दिनांक 01.08.2025
थाना कोतवाली सदर, जनपद
उन्नाव ।

दो पशु चोर गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा पशु चोरी के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 01.08.2025 को वादी मुकदमा मो० शरीफ पुत्र साहेबदार नि० सेक्टर बी-411 पी०डी० नगर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव के प्रा०पत्र बावत अज्ञात चोरो द्वारा पीडी नगर मोटर मार्केट के पीछे से घास चरती हुई भैंस को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 650/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.इमात कुरैशी उर्फ जकारिया पुत्र महताब कुरैशी नि० एकलाख नगर थाना गंगाघाट उन्नाव स्थाई पता -69 U ब्लॉक कबीर नगर थाना नौबस्ता कानपुर नगर उम्र करीब 20 वर्ष 2. साहबे आलम पुत्र मो० अंसार नि० सरैया चौराहा जाजमऊ चुंगी थाना जाजमऊ कानपुर नगर उम्र करीब 20 वर्ष को चोरी की भैंस को बेचने के 13,050/- रु० एक पिक अप बरामद कर अन्तर्गत धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस में मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

- 1.इमात कुरैशी उर्फ जकारिया पुत्र महताब कुरैशी नि० एकलाख नगर थाना गंगाघाट उन्नाव स्थाई पता -69 U ब्लॉक कबीर नगर थाना नौबस्ता कानपुर नगर उम्र करीब 20 वर्ष
- 2.साहबे आलम पुत्र मो० अंसार नि० सरैया चौराहा जाजमऊ चुंगी थाना जाजमऊ कानपुर नगर उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी-

चोरी की भैंस की बिक्री के 13,050 /- रु० नकद व एक पिक अप बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 01.उ०नि० इन्द्रदेव उपाध्याय थाना कोतवाली सदर उन्नाव ।
- 02.हे०का० संजीव कुमार
- 03.हे० का० नीरज
- 04.का० अंकुर चौधरी
05. का० सुशील कुमार यादव
- 06.का० योगेन्द्र यादव

